जिला विकास अधिकारी कार्यालय, हरिद्वार के अन्तर्गत् संचालित योजना/कार्यकम का विवरण।

कार्यालयाध्यक्ष का नाम	–	श्री एस0एस0 शर्मा, जिला विकास अधिकारी
कार्यालयाध्यक्ष का मोबाईल न0	–	8958244777
कार्यालय का दूरभाष नम्बर	–	01334–239001
ई–मेल आई–डी0	'–	ddohar@rediffmail.com
कार्यालय कक्ष सं0/ तल	–	भूतल

जिला विकास कार्यालय, हरिद्वार द्वारा निम्नांकित येाजना/ कार्यकम संचालित किये जा रहे हैं–

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

07 सितम्बर,2005 को अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (एन0आर0ई0जी0एस0) वर्तमान में संशोधित नाम (एम0एन0आर0ई0जी0एस0)का उददेश्य देश के ग्रामीण क्षैत्रो में उस प्रत्येक परिवार, जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते है, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारण्टीयुक्त रोजगार प्रदान करके ग्रामीण परिवारो की जीविकोपार्जन सुरक्षा में बढोत्तरी करना है। इस अधिनियम का समय समय पर भारत सरकार द्वारा सशोंधित कार्यो के माध्यम मे कार्य कराकर रोजगार सृजन करना ही मुख्य उददेश्य है। जनपद हरिद्वार के समस्त ग्रामीण क्षैत्रो में यह योजना आरम्भ 01 अप्रेल 2007 से कियान्वित है।

योजना की विशेषताऐं

- रोजगार हेतु ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराकर निःशुल्क जॉबकार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- योजना मॉग आधारित है। कार्य की मॉग के 15 दिन के अर्न्तगत रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। रोजगार उपलब्ध न कराये जाने पर बेरोजगारी भत्ता देय।
- कार्य मस्टररोल पर आधारित।
- अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी की दर 8 घंटे काम करने पर रू0 161/–प्रतिदिन देय है। मजदूरी भुगतान बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से।
- कार्य करते हुए दुर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई अपंगता की स्थिति में रू0 25,000.00 अनुग्रह राशि देय।
- महिला एवं पुरूष को एक समान मजदूरी देने की व्यवस्था है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक सम्प्रेक्षण की व्यवस्था।
- योजनार्न्तगत कराये जाने वाले कार्यो का चयन मनरेगा दिशानिर्देशानुसार ग्राम पंचायतो की खुली बैठक में कराये जाने की व्ययस्था।

विधायक निधि –

मा0 विधान सभा सदस्यों को अपने–अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने हेतु विधायक निधि का गठन किया गया है। प्रत्येक विधानसभा के मा0 सदस्य द्वारा अनुभव की जा रही आवश्यकता के अनुसार मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी को निर्माण कार्यो का विवरण/ प्रस्ताव दिया जाता है, जिसको मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन कार्यो का क्रियान्वयन कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 से प्रति विधानसभा क्षेत्र हेतु रू0 275.00 ला0रू0 की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

सामुदायिक विकास योजना–

सामुदायिक विकास योजनान्तर्गत् जिला विकास कार्यालय एवं विकासखण्डों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य कराये जाते हैं। योजना के अन्तर्गत् जिला स्तर पर जिला योजना समिति द्वारा बजट अनुमादित किया जाता है।

दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना–

यह योजना राज्य सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के अनुसार संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2002के बी0पी0एल0 सर्वे के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे आवास विहीन/ कच्चे आवासों वाले परिवारों के नये पक्के आवास निर्माण हेत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जिसमें कम से कम अनु0जाति हेतु 19 प्रतिशत ,अनु0जनजाति हेत 4 प्रतिशत तथा गैर अनु0जाति/ जनजाति के आवासविहीन ग्रामीण परिवारों हेतु निर्धारित की गयी है। योजनान्तर्गत् लाभार्थियों का चयन लक्ष्यों के आधार पर क्षेत्र पंचायतवार तथा ग्राम पंचायतवार लक्ष्यो का निर्धारण किया जाता है।

इंदिरा आवास योजना की भॉतिदीनदयाल ग्रामीण आवास योजना में भी वित्तीय वर्ष 2013–14 से मैदानी क्षेत्रों हेतु रू0 70000.00रू0 प्रति आवास वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ग्रामीण तालाब निर्माण एवं विकास योजना–

यह योजना राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों व जलस्रोतों के विकास हेतु संचालित की जा रही है। इसका मुख्य उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों का मरम्मत/ पुननिर्माण/ सुधारीकरण रहेगा ताकि इन तालाबों एवं जल स्रोतों से ग्रामीण क्षेत्रवासियों को सिंचाई एवं मत्स्य पालन का लाभ प्राप्त हो सके।

मेरा गाँव मेरी सड़क योजना–

यह योजना राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गो से जोडने हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 01 कि0मी0 तक के सम्पर्क मार्गो का निर्माण किया जाना है, जिसको मनरेगा योजना के अन्तर्गत डपटेलिंग करते हुऐ विकास खण्डों के माध्यम से बनाई जायेगी।

————

(एस0एस0 शर्मा)
जिला विकास अधिकारी,

हरिद्वार।